

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 94/2013

संस्थापन दिनांक 28.02.2013

- 1- अजमेर धानुक, आयु 44 साल,  
पुत्र बाबू धानुक, निवासी ग्राम -चन्द्रहरा,  
परगना गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र गोहद,  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री बी०एस०यादव, अति० लोक अभियोजक  
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री आर०सी०यादव अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री एस०के०तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण  
क्रमांक-1051/2008 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 04/02/2013 से उत्पन्न  
दांडिक अपील ।

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी अजमेर धानुक की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के०तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्र.-1051/2008 निर्णय दिनांक-04/02/2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/आरोपी को धारा 354 भा०द०स० के अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आरोपी/अपीलार्थी व अभियोक्त्री एक ही ग्राम चन्द्रहरा के निवासी होकर आपस में पड़ोसी है और पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। यह भी निर्विवादित है कि अपीलार्थी/आरोपी की पत्नी सरपंच रही है और अभियोक्त्री व उसका पति दूध विक्रय का धंधा करते हैं।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि अभियोक्त्री एवं उसका पति रहमान खॉ दूध का व्यवसाय करते हैं। दिनांक 16.10.2008

को शाम लगभग सात बजे अभियोक्त्री ग्राम चन्द्रहरा में अपने सिर पर दूध की बाल्टी रखकर जा रही थी। जब वह आरोपी अजमेर के घर के पास से निकली तो आरोपी ने उसकी बांह पकड़ कर छाती दोनों हाथों से दबा दी अभियोक्त्री द्वारा यह कहना पर कि क्या कर रहे हो आरोपी उसकी बांह पकड़ कर एक तरफ ले जाने लगा जिस पर अभियोक्त्री चिल्लाई तो मौके पर अनिल शर्मा व अमृतलाल आदि आ गये, घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री नफीसा द्वारा थाना गोहद में किए जाने पर अपराध क्रमांक 225/08 दर्ज कर अपराध की कायमी की गई तथा मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी अजमेर के विरुद्ध धारा-354 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाया जो आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका-1 में बताये अनुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गंभीर विरोधाभास हैं। चुनाव के रंजिश के कारण झूठा प्रकरण बनवाया है। घटना की रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है, जो षडयंत्र कर लिखाई गई है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं कराए गये हैं। जिससे अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय व दण्डाज्ञा पारित की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

6. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी को चेतावनी देकर या जुर्माना से दण्डित कर छोड़ दिया जावे, जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है उनकी ओर से यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा किए गये कृत्य को देखते हुए उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः अपील सारहीन होने से

निरस्त की जावे

07— अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपीके विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

08— अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य निर्णय का अवलोकन किया। बचाव पक्ष अधिवक्ता व अतिरिक्त अभियोजक के तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-354 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाकर अपीलार्थी को दण्डित किया है, इसलिये उक्त दांडिक अपील में इस बिन्दु पर विचार करना होगा कि क्या अभिलेख पर जो अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गयी है और जो तथ्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनसे धारा-354 भा0दं0सं0 के अपराध के प्रमाण हेतु आवश्यक संगठकों की पूर्ति होती है और मामला युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है या नहीं। इसके लिए सर्वप्रथम धारा-354 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए आवश्यक संगठकों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

09— उक्त अपराध के लिए विधायिका के द्वारा जो शब्दावली प्रयोग की गयी है, उसके मुताबिक पीडिता एक स्त्री होना चाहिये और आरोपी के द्वारा उसकी लज्जा भंग करने का आशय होना चाहिये या वह यह संभाव्य हो सकता है कि उसके द्वारा जो हमला या अपराधिक बल प्रयोग किया जा रहा है, उससे स्त्री की लज्जा भंग होगी अर्थात् हमला या बल प्रयोग आवश्यक है। स्त्री शब्द को भा0दं0सं0 की धारा-10 में परिभाषित किया गया है, जिसके मुताबिक किसी भी आयु की मानव नारी स्त्री से अभिप्रेत माना गयी है। हस्तगत प्रकरण में अभियोक्त्री जो कि अ.सा.-3 के रूप में परीक्षित हुई, उसके स्त्री होने के बावत कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है, जिससे यह तथ्य स्थापित होता है कि अभियोक्त्री एक स्त्री है।

10— जहां तक लज्जा भंग करने के आशय का प्रश्न है, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य से स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसी व्यक्ति का किसी स्त्री की लज्जा भंग

करने का आशय या जानकारी है या नहीं । यह वस्तुतः मस्तिष्क की स्थितियों पर निर्भर करता है और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से ही एकत्रित कर देखा जा सकता है कि लज्जा भंग करने का आशय या जानकारी थी या नहीं । जैसा कि न्याय दृष्टांत **शैलेन्द्र नाथ विरुद्ध अश्वनी 1980 किमिलन लॉ जनरल पेज-343** में मार्गदर्शित किया गया है । लज्जा शब्द को भा0दं0सं0 में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए उसके संबंध में विभिन्न शब्दकोशों में दिये गये अर्थान्वयन का आश्रय लेना होगा । शब्दकोशों के ही शब्दों में निम्न अंश देखें—“लज्जा (Modesty)” शब्द के अर्थान्वयन हेतु निम्न शब्दांशों का उपयोग किया जा सकता है –

*" Modesty as freedom from quality of being modest and in relation to woman means womanly propriety of behaviour ; scrupulous chastity of thought, speech and conduct."*

12— किसी स्त्री पर अशिष्ट हमले की कोटि में क्या आ सकता है यह आम जन के रीति रिवाजों, आदातें तथा संबंधित महिला की आयु पर निर्भर करता है कि जो कृत्य किया गया है, वह नैतिकता को भंग करने वाला है, या नहीं । उससे ही महिला की लज्जा भंग करने का आशय निकाला जा सकता है । इन बिन्दुओं को भी हस्तगत प्रकरण में ध्यान रखना होगा । क्योंकि अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गयी है, जिसमें अभियोजन की भी साक्ष्य है और बचाव पक्ष की भी साक्ष्य है । उसमें पूर्वतन् रंजिश और सरपंची चुनाव की बुराई भलाई को अभियोजित कराने का आशय बचाव पक्ष द्वारा प्रकट किया गया है और अभियोजन द्वारा जान बूझकर लज्जा भंग करने का अपराध बताया है । इसलिये मामले में रंजिश का बिन्दु भी विश्लेषण योग्य है ।

13— अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अभियोक्त्री ने आरोपी/अपीलार्थी की पत्नी और परिजनों की भी मौजूदगी स्वीकार की है और अपीलार्थी/आरोपी की पत्नी का बचाव साक्षी के रूप में कथन भी कराया गया है, जिसे विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दृष्टि-ओझल किया गया है और उसपर कोई निष्कर्ष नहीं दिया । यह भी विचारणीय प्रश्न है । विधि अनुसार बचाव साक्षी भी अभियोजन साक्षी की तरह ही विश्लेषण में लिए जाने का नियम है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत **केसरदान विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2005 बॉल्यूम-3 पेज-550** अवलोकनीय है ।

14— प्रकरण में जो आरोप था और जिसकी दोषसिद्धी हुई है, वह स्त्री की

लज्जा भंग करने संबंधी यौन अपराध है । ऐसे में अपराध में सर्वाधिक महत्व की साक्षी अभियोक्त्री ही होती है और सामान्यतः यौन अपराध एकांततः को देखते हुए अंजाम दिये जाते हैं । ऐसे में अभियोक्त्री अ.सा.-3 हस्तगत प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व की साक्षी है और यह देखना होगा कि क्या उसकी साक्ष्य संपुष्टि की हो सकती है या नहीं । प्रदर्श पी.-1 के एफ.आई.आर. मुताबिक साक्षी अनिल शर्मा एवं अमृतलाल जमादार को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है कि अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उन्होंने आकर बचाया और घटना देखी और अनिल अ.सा.-1 पैरा-1 में अभियोक्त्री और आरोपी को मौके पर पहुंचकर अलग करना कहता है, जबकि प्रतिपरीक्षण में वह पुनः भिन्न कथन करते यह यह स्पष्ट कहता है कि जब वह पहुंचा था तब अजमेर वहां से भाग चुका था और अभियोक्त्री वहां खड़ी थी, जो दोनों ही विरोधाभासी हैं और अमृतलाल ने तो बचाव करने से मना ही कर दिया है । ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति चक्षुदर्शी साक्षी की नहीं रह जाती है । जबकि अनिल शर्मा अ.सा.-1 और अमृतलाल अ.सा.-2 के मुताबिक उन्होंने बीच बचाव करने वाली बात का समर्थन नहीं किया और दोनों ने ही आरोपी के चले जाने के बाद अभियोक्त्री से बातचीत होना बताया है ।

15— अनिल के मुताबिक आरोपी के चले जाने के बाद उसकी अभियोक्त्री से बातचीत हुई और जब वह पहुंचा था, तब अभियोक्त्री खड़ी थी । अजमेर भाग चुका था । अमृतलाल ने बीच बचाव करने से पैरा-3 में इंकार कर दिया है और उसके पैरा-2 मुताबिक जिस स्थान की घटना बतायी है, वहां से यदि कोई महिला जोर से चिल्लाये तो सारा मोहल्ला सुन लेगा । जबकि अभियोक्त्री अ.सा.-3 के मुताबिक अनिल और अमृतलाल के अलावा और कोई नहीं आया था, जबकि घटनास्थल के मानचित्र प्रदर्श पी.-2 के मुताबिक जिस स्थान की घटना बतायी है, वहां आरोपी के मकान के अलावा अन्य लोगों के भी मकान व आम रास्ता दर्शाया गया है । हैडपंप भी दर्शाया गया है, ऐसे में सर्वप्रथम इस बिन्दु को विश्लेषित करना उचित होगा कि अमृतलाल और अनिल की साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं । यदि है तो किस सीमा तक क्योंकि दोनों ही साक्षियों से आरोपी/अपीलार्थी ने रंजिश और बुराई बतायी है, जिसमें यह कहा गया है कि साक्षी अनिल के द्वारा उसकी पत्नी जब गांव के सरपंच थी तो उसे जातिगत गालियां दी गयी थी और विवाद किया था, जिसकी रिपोर्ट की गयी थी और हरिजन एक्ट का मामला बना था ।

16— तर्कों में यह भी कहा गया है कि उस मामले में अनिल को सजा भी हुई

है, इसलिये वह रंजिश रखता है । साक्ष्य के दौरान अनिल से संबंधित मामले का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रदर्शित नहीं कराया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर साक्षी अनिल शर्मा व अन्य के विरुद्ध चले आपराधिक मामले के निर्णय और उसमें हुए अपीलार्थी/आरोपी अजमेर के न्यायालयीन कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है, जो कि न्यायिक अभिलेख होने से उसका न्यायिक नोटिस साक्ष्य अधिनियम की **धारा-57** के तहत लिया जा सकता है और दोषसिद्धी के मामले में घटना हस्तगत प्रकरण की घटना के पहले की बतायी गयी है, ऐसे में साक्षी अनिल शर्मा से आरोपी/अपीलार्थी की रंजिश उस मामले को लेकर स्थापित होती है । ऐसे में उसकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानी से विश्लेषण करना होगा कि इसी द्वेष भाव के आधार पर तो साक्षी बना या नहीं ।

17— दूसरे साक्षी अमृतलाल के संबंध में भी यह स्थापित हुआ है और स्वयं अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि अमृतलाल के पिता राजाराम की हत्या हुई थी और उस केस में आरोपी/अपीलार्थी अजमेर के पिता बाबू का नाम भी था, लेकिन उस मामले में दोषमुक्त आरोपी का पिता बाबू की हो चुकी है या नहीं , इस बारे में उसे जानकारी नहीं है, जैसा कि बचाव पक्ष ने दोषमुक्त होना बताया है । हालांकि उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है । केवल अपीलार्थी/आरोपी की पत्नी गुडडीबाई ने बचाव साक्षी क्रमांक-1 के रूप में साक्ष्य में बताया है, किन्तु उससे यह तथ्य तो स्थापित होता है कि अमृतलाल और अपीलार्थी के मध्य भी रंजिश का बिन्दु विद्यमान है । ऐसे में उसका भी सावधानी से विश्लेषण करना होगा कि कहीं पिता की हत्या के मामले के प्रतिशोध स्वरूप साक्ष्य देने आया है या नहीं । क्योंकि दोनों साक्षियों के घर घटनास्थल के आसपास होना प्रदर्श पी.-2 के नक्शा मौका मुताबिक नहीं दर्शाये गये हैं और अभियोक्त्री अ.सा.-3 भी उन्हें कुछ अधिक दूरी पर बताती है । जैसा कि उसके अभिसाक्ष्य पैरा-3 में आया है । अन्य आसपास के नक्शा मौका में दर्शित व्यक्ति में से कोई साक्षी क्यों नहीं बनाया गया । इस संबंध में विवेचक गंगासिंह अ.सा.-5 भी मौन है और अभियोक्त्री भी मौन है ।

18— हालांकि अभियोक्त्री ने यह अवश्य कहा है कि चिल्लाने पर कोई नहीं आया था। अमृतलाल और अनिल रास्ते से आ रहे थे जो चिल्लाने पर उसके पास आ गये थे, लेकिन रास्ते से आने वाली बात का समर्थन अ.सा.-1 अनिल और अ.सा.-2 अमृतलाल से नहीं होता है । बल्कि अनिल के मुताबिक उसका घर आरोपी के पास में

ही है और अमृतलाल का मकान घटनास्थल से 5-6 मकान छोड़कर है, उसके मुताबिक अमृतलाल अपने आपने आप आ गया था और वह व अमृतलाल एक साथ मौके पर पहुंचे थे । अमृतलाल अ.सा.-2 भी अनिल का घर घटनास्थल के पास बताते हुए यह कहता है कि वह उस दिन भ्यानी से आ रहा था और अनिल शर्मा अपने दरवाजे पर खड़ा था, जिसे उसने बुलाया था । यह भी आपने आप में विरोधाभासी है । ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों जिनकी अपीलार्थी/आरोपी से घटना के पूर्व से रंजिश थी, उनकी घटनास्थल पर पुष्टि का बिन्दु ही संदिग्ध है इस ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दी गयी है और उनकी साक्ष्य को औपचारिक रूप से संपुष्टिकारक माना है, जबकि सुस्थापित विधि मुताबिक अभियोजन पर अपने मामले को प्रत्येक प्रकार के संदेह के परे मामला सिद्ध करने का भार होता है, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **मोर सिंह विरुद्ध म. प्र. राज्य 2006 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-5** अवलोकनीय है।

19— अमृतलाल की रंजिश की सीमा किस हद तक है यह उसके पैरा-3 से भी स्पष्ट होती है, जिसमें वे आरोपी/अपीलार्थी द्वारा गाली गलौच करना भी बताता है और यहां तक कहा है कि आरोपी ने उसे भी गालियां दी थी, जिसकी उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की, उसके मुताबिक घटना वाले दिन अभियोक्त्री का पति घर पर था, जबकि रहमान अ.सा.-4 के मुताबिक रात में घर लौटा था, अर्थात् घर में नहीं था। यह भी विरोधाभासी है और जहां रंजिश प्रबल हो, वहां ऐसे विरोधाभास को आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता है ।

20— अ.सा.-1 व 2 जो कि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं पाये गये और वे क्या मौके पर यकायक पहुंचे साक्षी की स्थिति रखते हैं या नहीं । ताकि उनकी संपुष्टिकरण साक्ष्य मानी जा सके । इस बिन्दु को देखा जाये तो भी अ.सा.-1 कभी चक्षुदर्शी साक्षी की तरह, तो कभी अनुश्रुत साक्षी की तरह, तो कभी मौके पर पहुंचे यकायक साक्षी की तरह साक्ष्य देता है । वह अभियोक्त्री का दूध लेकर आना और घटना के समय उसका दूध मौके पर फैल जाना तक बताता है, जबकि स्वयं अभियोक्त्री ने दूध फैल जाने का कोई समर्थन अपनी अभिसाक्ष्य में नहीं किया है और पैरा-5 में यह कहा है कि दूध फैल गया हो तो उसे आज ध्यान नहीं है । जबकि उसका पति रेहमान अ.सा.-4 पैरा-3 मुताबिक उसकी पत्नी ने यह बताया था कि दूध की भरी हुई बाल्टी लेकर आ रही थी और कथानक में दूध की बाल्टी भरी थी या खाली थी, इस बारे में कोई तथ्य नहीं है और विवेचक प्रधान आरक्षक गंगा सिंह अ.सा.-5 के पैरा-2 मुताबिक घटनास्थल पर फरियादी

का कोई दूध नहीं पाया था ।

21— यदि वास्तव में अभियोक्त्री दूध लेकर आ रही थी तो उसे इतना अवश्य ध्यान रहता कि उसके दूध का क्या हुआ ? कथानक मुताबिक दूध की बाल्टी सिर पर रखकर लेना बताया गया, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति के द्वारा किसी स्त्री की बांह पकड़ी जाये, स्तन दबाये जायें और एक तरफ को खींचा जाये तो ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि दूध की बाल्टी का संतुलन नहीं रह सकता है और वह निश्चित रूप से फैलेगी, जिससे अभियोक्त्री का अनभिज्ञता प्रकट करना ही अपने आपमें उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है । अभियोक्त्री उसी गांव की रहने वाली है, जिसका आरोपी/अपीलार्थी की पत्नी सरपंच रही है, लेकिन उसे उसकी पत्नी का नाम तक मालूम नहीं है । यह भी स्वाभाविक नहीं लगता है तथा एक ओर तो वह आरोपी के द्वारा लज्जा भंग करना बताती है और दूसरी ओर उसे इस बारे में भी ज्ञान नहीं है कि आरोपी का परिवार भला है या नहीं । आरोपी/अपीलार्थी अजमेर से उसके पहले की कोई बुराई भलाई ना होना अभियोक्त्री पैरा-6 में स्वीकार करती है । ऐसे में बचाव पक्ष का लिया गया यह आधार बल रखता है कि अनिल शर्मा और अमृतलाल से रजिश के आधार पर झूठा अभियोजित किया गया, क्योंकि यह भी आक्षेप किया गया है कि अभियोक्त्री उक्त दोनों साक्षियों की पार्टी बंदी में है ।

22— अभियोक्त्री के बारे में यह भी विरोधाभास प्रकट हुआ है कि वह दूध लेने गयी थी या दूध लेकर आ रही थी । इसमें न्यायालयीन साक्ष्य और कथानक में भिन्नता है । हालांकि इसे अधिक महत्व इसलिये नहीं दिया जा सकता है कि भले ही दूध लेने जा रही हो या आ रही हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण यह है कि क्या उसके साथ आते समय समय कोई लज्जा भंग की घटना हुई या नहीं और आरोपी/अपीलार्थी अजमेर के द्वारा की गयी या नहीं ?

23— अभिलेख पर जिस तरह की साक्ष्य आयी है उसमें अ.सा.-1 और 2 को यह जानकारी नहीं है कि अभियोक्त्री कहां दूध लेने के लिए गयी थी या ला रही थी और उन्होंने अभियोक्त्री के स्तन दबाते हुए नहीं देखा, लेकिन अभियोक्त्री ने सत्य कहा या नहीं यह अभियोक्त्री की साक्ष्य से ही निष्कर्षित किया जा सकता है । अनिल के मुताबिक आरोपी अजमेर के पिता और पत्नी भी मौजूद थे और पत्नी व.सा.-1 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने यह बताया है कि अभियोक्त्री से उसके पुत्र संजू का मुंहवाद हो गया था, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी उन्होंने गलती भी मनाई थी ।



हालांकि इसपर और कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, किन्तु गांवों में पार्टी बंदी होना अमृतलाल अ.सा.-2 ने पैरा-3 में स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने स्वयं किसी पार्टी बंदी में होने से इंकार किया है । उक्त दोनों ही साक्षियों के आरोपी या उसके परिजनों के साथ पूर्व में चले मामले के आधार पर दोनों साक्षियों से आरोपी/अपीलार्थी की रंजिश स्थापित होती है और उत्पन्न परिस्थितियों में उन दोनों साक्षियों का रंजिश के आधार पर ही अभियोजन साक्षी या घटना का साक्षी होना प्रमाणित होता है । क्योंकि जिस स्थान की घटना बतायी गयी है, वहीं आस-पास बस्ती है । ऐसे में आसपास के किसी व्यक्ति का अभियोक्त्री के चिल्लाने पर ना आना और साक्षी के रूप में प्रकट ना होना घटना को संदिग्ध बनाता है ।

24— ऐसे में अ.सा.-1 व अ.सा.-2 की अभिसाक्ष्य कतई भरोसे योग्य नहीं रह जाती है और उनके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वे वास्तव में अभियोक्त्री के चिल्लाने पर पहुंचे और उन्हें अभियोक्त्री ने घटना सुनायी । क्योंकि अभियोक्त्री अ.सा.-3 के मुताबिक तो घटना के बाद जब वह आरोपी के चले जाने के बाद अपने घर आ रही थी तब रास्ते में अनिल और अमृतलाल मिले जिन्हें उसने पूरी बात बतायी । अर्थात् मौके पर नहीं बताया और ना ही मौके पर दोनों साक्षी पहुंचे और जिस तरह की रंजिश उक्त दोनों साक्षियों से प्रकट हुई है, उससे उनका रास्ते में मिलना भी संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि रास्ते में इनके अलावा और कोई मिला या नहीं और उन्हें घटना बतायी या नहीं ।

25— दूसरी ओर अभियोक्त्री अनिल के घर के पास उन्हें घटना बताना कहती है, हालांकि वह आरोपी के पुत्र सोनू से कोई लड़ाई की बात से इंकार करती है । ऐसे में अ.सा.-1 व 2 किसी भी बिन्दु के लिए विश्वसनीय साक्षी की हैसियत नहीं रखते हैं । जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने संपोषक साक्षी माना है । अभियोक्त्री अ.सा.-3 के मुताबिक आरोपी के घर के दरवाजे के सामने से जब वह निकली तो आरोपी ने उसकी छाती पकड़ ली और वह चिल्लायी तो अनिल शर्मा और अमृतलाल आ गये, जिन्होंने पूछा कि क्या हो गया तो उसने उन्हें पूरी घटना बतायी और आरोपी भाग गया, लेकिन आरोपी कहाँ भाग गया, यह वह स्पष्ट नहीं करती है । यदि आरोपी के घर के सामने ही घटना हुई है तो वह या तो गांव भागता या घर के अंदर भागता । इसपर अभियोक्त्री मौन है ।

26— एफ.आई.आर. मुताबिक आरोपी द्वारा खींचकर एक तरफ ले जाना भी

बताया गया, जिसका स्वयं अभियोक्त्री समर्थन नहीं करती है और इंकार करती है । जैसा कि उसका पैरा-7 में आया है, बल्कि वह गोड़े (पैर) पकड़कर छाती पकड़ लेना कहती है । पैर पकड़कर छाती पकड़ना स्वाभाविक नहीं लगता है, ना ही कथानक में पैर पकड़ने का कोई उल्लेख है, जो उसने अपनी अभिसाक्ष्य में विकास करते हुए बताया है। अभियोक्त्री के मुताबिक विवेचक द्वारा कार्यवाही मिनाऊ ब्राम्हण के यहां बैठकर दूसरे दिन पुलिस द्वारा की गयी और अनिल शर्मा के सजा वाला जो निर्णय पेश किया गया है, उसमें रामसेवक शर्मा उर्फ मिनाऊ भी आरोपी था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। ऐसे में विवेचक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है । ऐसे में बचाव पक्ष का यह कहना कि रंजिश और चुनावी बुराई पर से अभियोक्त्री और उसकी पार्टी बंदी के साक्षियों की मिली भगत से अभियोजित कराया गया, उसे औपचारिक रूप से नहीं लिया जा सकता है और इस बिन्दु पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, जिससे दोषसिद्धी दूषित हो जाती है ।

27— अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने एफ.आई.आर. का बिन्दु उठाया है, घटना प्र.पी.-1 के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे दिनांक-16/10/08 की बतायी गयी है और रिपोर्ट अगले दिन 17/10/07 को सुबह 10:30 बजे की गयी, जिसमें बिलंब का कारण रात हो जाना बताया गया । घटनास्थल से थाने की दूरी करीब 10 कि.मी. बतायी गयी है । अभियोक्त्री के मुताबिक वह और उसका पति साइकिल से रिपोर्ट को गये थे और 2-2:30 घण्टे का समय लगा था, जैसा कि पैरा-7 में कहती है और उसके पति रेहमान के पैरा-6 मुताबिक रिपोर्ट को पैदल गया था तथा उसके बिलंब का कारण आरोपी का डर बताया है कि उसे शंका थी कि आरोपी के पास कोई गुण्डा है। उक्त कारण और रात बिलंब के संतोषप्रद कारण हो सकते हैं किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसे बिलंब का कारण मानना उचित नहीं होगा । क्योंकि स्वयं अभियोक्त्री अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य पैरा-7 के मुताबिक साक्षी अनिल और अमृतलाल से उसके पित की उसके घर पर सुबह बातचीत हुई थी और बातचीत होने के बाद वह रिपोर्ट को गये थे तथा अमृतलाल और अनिल भी साथ में गये थे । ऐसे में न्याय दृष्टांत **देवचन्द्र विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1982 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-452** में दिये गये मार्गदर्शन प्रकरण में प्रयोज्य किए जाने योग्य हैं, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां एफ.आई.आर. दर्ज करने में बिलंब किया गया हो और साक्षियों ने घटना का विकास किया हो तो ऐसी स्थिति में धारा-354 भा0दं0सं0 का अपराध स्थापित नहीं होगा । ऐसा

ही हस्तगत मामले में भी है।

28— ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क बल रखता है कि रिपोर्ट साक्षियों से मंत्रणा के बाद रंजिश के आधार पर सडयंत्र करके की गयी । क्योंकि रिपोर्ट के पूर्व मंत्रणा की जाना और मंत्रणा का कोई कारण ना बताया जाना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है । ऐसे में प्रदर्श पी.-1 की एफ.आई.आर. को विलंबित माना जायेगा, जिसका संतोषप्रद कारण नहीं है । यदि साक्षियों से बातचीत का संदर्भ बताया जाता तो उसे एक कारण माना जा सकता था, जबकि इसके विपरीत अ.सा.-1 अभियोक्त्री के पति से बातचीत से ही पैरा-4 मुताबिक इंकार करता है और अमृतलाल अ.सा.-2 पैरा-3 में रेहमान से झगडा के बारे में उसके द्वारा कुछ पूछा जाना कहता है, झगडा अर्थात् प्रश्नगत घटना ही हो सकती है । अमृतलाल को अभियोक्त्री के नाम की जानकारी तक नहीं है, जबकि वह उसके साथ आया था, अभियोक्त्री का नाम वह अनीता या विनीता बताता है । ऐसे में भी अभियोजन का मामला संदिग्ध है और अभियोक्त्री अ.सा.-3 को विश्वसनीय साक्षी नहीं ठहराया जा सकता है, उसकी अभिसाक्ष्य गंभीर संदेह से उपधारित होकर अस्वाभाविक भी है । ऐसे में उसके पति रेहमान अ.सा.-4 जो कि अनुश्रुत साक्षी की हैसियत रखता है, उसे भी महत्व नहीं दिया जा सकता है ।

29— विवेचक गंगासिंह अ.सा.-5 के मुताबिक जब वह अनुसंधान के लिए गया तो उसे अनिल और अमृतलाल साक्षीगण घटनास्थल पर ही खडे मिले थे । यह भी उक्त दोनों साक्षियों की मामले के प्रति अधिक रूचि लेने को इंगित करता है और उनकी मंशा को भी जाहिर करता है कि वे अपीलार्थी/आरोपी को अभियोजित कराने और दोषसिद्ध कराने का आशय रखते हैं । ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष में अभियोक्त्री को पूर्ण विश्वसनीय साक्षी मानने, अ.सा.-1 व अ.सा.-2 तथा अ.सा.-4 को संपोषक साक्षी मानकर धारा-354 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराये जाने में विधि एवं तथ्य दोनों की भूल की जाना पायी जाती है और साक्ष्य अधिनियम की धारा-08 के तहत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या को उत्पन्न परिस्थितियों में उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि पश्चात्वर्ती आचरण सुसंगत नहीं था ।

30— यह सही है कि कोई स्त्री लज्जा भंग के मामले को अपनी इज्जत दावे पर लगाकर अभियोजित नहीं करायेगी । यह सामान्य सिद्धांत है । लेकिन इसके कई अपवाद हो सकते हैं और अनेक बार ऐसा देखने में आया है कि द्वेषभाव या रंजिश या

अन्य कारणों से झूठे मामले भी बनाये जाते हैं इसलिये यह आधार बनाकर नहीं रखा जा सकता है कि कोई भी स्त्री किसीको फंसाने के लिए झूठा आक्षेप नहीं लगा सकती है, जबकि वर्तमान मामले में जो तथ्य, परिस्थितियां हैं, उससे तो मामला असत्य ही प्रकट हुआ है । ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

31— फलतः अपील में लिए गये आधार सद्भावी और सुसंगत पाये जाते हैं । फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील विचारणोपरांत स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक-04/02/2013 को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी अजमेर को **धारा-354 भा.दं.वि.** के आरोप के अपराध से एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड से **दोषमुक्त** किया जाता है । अपीलार्थी/आरोपी द्वारा **जप्त अर्थदण्ड** विद्वान अधीनस्थ न्यायालय वापिस करे ।

32. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये जाते हैं ।

33. प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति नहीं है। अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय मान्य हो ।

दिनांक 23 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

निर्णय मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड